



Neutral Citation No. 2026:AHC:19974

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट बी संख्या- 350 /2026

गट्टे लाल

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता

:

हिमांशु पांडे

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता

:

अचल सिंह, मुख्य स्थाई अधिवक्ता

न्याया कक्ष संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री हिमांशु पांडे राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता श्री एम. एन. मिश्रा और प्रत्यर्थी ग्राम सभा की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अचल सिंह को सुना गया।

2. यह रिट याचिका परमादेश रिट जारी करने की मांग करते हुए दायर की गई है जिसमें प्रत्यर्थी सं. 2/राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज को यह निर्देश दिया गया है कि वह अपने समक्ष लंबित पुनरीक्षण सं. 3257/2018 का निर्णय निर्धारित समय सीमा के भीतर करे। 3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कथन है कि विभाजन के बाद से उत्पन्न पुनरीक्षण प्रत्यर्थी सं. 2/राजस्व परिषद के समक्ष वर्ष 2018 से लंबित है। आगे यह भी निवेदन किया गया है कि पक्षों के मध्य समझौता हो गया है अतः विधि के अनुसार लंबित पुनरीक्षण के त्वरित निस्तारण हेतु उचित निर्देश जारी किए जाएं।

4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना इस याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 2/राजस्व परिषद उ० प्र० प्रयागराज उपर्युक्त कार्यवाही को उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचाए यह कार्य यथाशीघ्र और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 2 महीने की अवधि के भीतर संबंधित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद विधि के अनुसार किया जाए।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

29 जनवरी 2026

सी. प्रकाश

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"